

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित एनिकट निर्माण / 18-19/

दिनांक 18.12.19
46035-43

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाड़ा ।

विषय : एनिकट निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति ।

संदर्भ : पंचायत समिति सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 11000-30 दि. 28.02.2019 द्वारा एनिकट निर्माण कार्यों की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में संलग्न विकास अधिकारी, पं.स. सज्जनगढ़, बांसवाड़ा से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना एवं जल संसाधन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से निम्नलिखित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या-7 अनुसार राशि रु. 37.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

क.स.	कार्य का नाम	पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
			क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एनिकट निर्माण लिफ्ट सिचाई योजना के पास रूपाखेड़ा ग्राम रूपाखेड़ा ग्राम पंचायत मगरदा ।	सज्जनगढ़	11000-30 28.02.2019	10.00	08/05.03.19	09.40	8.00
2	एनिकट निर्माण जोगडी माता वाले नाले पर जोगडी माता ग्राम जोगडी माता ग्राम पंचायत अन्देश्वर ।	सज्जनगढ़	11000-30 28.02.2019	10.00	06/05.03.19	09.60	8.00
3	एनिकट निर्माण मेननाले के पास कराउ फला झकोडीया नाथा ग्राम झकोडीया नाथ ग्राम पंचायत रो. लक्ष्मण सिंग ।	सज्जनगढ़	11000-30 28.02.2019	10.00	02/05.03.19	10.00	8.00
4	एनिकट निर्माण लालसिंह के घर के पास कुण्डा ग्राम कुण्डा ग्राम पंचायत मछारा साथ ।	सज्जनगढ़	11000-30 28.02.2019	10.00	09/05.03.19	08.00	6.00
	योग			40.00		37.00	30.00

उपरोक्त कार्यों पर स्वीकृत राशि 37.00 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त की राशि कॉलम संख्या-8 अनुसार रु. 30.00 लाख की व्यवस्था विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वी. स. 50/2018-19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि 1200.93 लाख रु. में से उपलब्ध राशि से होगी। शेष राशि कार्य की प्रगति के आधार पर हस्तान्तरित की जायेगी। कार्यों के संपादन में प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य महानरेगा अथवा अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे एवं अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यों पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
3. पंचायत समिति/ग्राम पंचायत को स्वीकृत कार्यों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका में दिए गए प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे एवं निर्देशिका में दिए गए निर्देशों के अनुरूप उपयोगिता/कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जावे।
4. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा में सम्पादित किया जावे। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।